भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2811

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना का कार्यान्वयन

2811 # श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समय पर चिकित्सा उपचार मिलने पर बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना के अंतर्गत देश में कितने सड़क दुर्घटना पीड़ित लाभान्वित हुए हैं तथा तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक अस्पतालों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है और लंबित दावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अधिकतम अस्पतालों के पंजीकरण तथा 'दुर्घटना के एक घंटे के भीतर' उपचार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुसार, पीएम-राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों की अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार) योजना 13.02.2026 को राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर और निर्बाध चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करके सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करना है, जिसमें महत्वपूर्ण गोल्डन आवर भी शामिल है, यानी किसी गंभीर चोट के बाद का वह एक घंटा जिसमें शीघ्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है। यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान करती है। इसके अलावा, यह उपचार कवर उन सभी पीड़ितों को उपलब्ध होगा जो मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल हैं।

13.02.2026 को राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए योजना के शुभारंभ के बाद से 31.07.2026 तक, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 22,481 पीड़ित इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

अस्पतालों द्वारा दायर कुल दावों में से, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) ने 12.59 करोड़ रुपये के दावों को मंजूरी दी है। इनमें से 10.56 करोड़ रुपये अस्पतालों को भुगतान किए जा चुके हैं।

(घ) सा.का. 2489 (अ) दिनांक 4 जून, 2025 द्वारा अधिसूचित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत नामित अस्पताल, जिनमें आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल भी शामिल हैं, जो इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं, योजना के प्रयोजनों के लिए नामित अस्पताल माने जाएंगे।

इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचए द्वारा दिनांक 20.05.2025 को जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के आधार पर अतिरिक्त अस्पतालों को नामित करने और उन्हें शामिल करने की सलाह दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत प्रवेश या उपचार से इनकार करना लागू योजना प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने वाले कानूनों, जिनमें क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 या संबंधित राज्य-विशिष्ट कानून शामिल हैं, के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा, अस्पताल पैनल में शामिल होने संबंधी दिशानिर्देशों में अनुपालन न करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबन और पैनल से नाम हटाने का प्रावधान है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंच जाए, 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के साथ समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि पीड़ित या कोई भी नेक इंसान (गुड समाराटिन) 112 डायल करके निकटतम नामित अस्पताल का विवरण प्राप्त कर सके और एम्बुलेंस सहायता भी मांग सके।

अनुलग्नक-I

प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ितों की अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना का कार्यान्वयन के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2811 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत मामले**	**निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस से कोई जवाब न मिलने पर योजना से निर्वहन (डिस्चार्च)**	**राज्य पुलिस द्वारा जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले मामले इस योजना के पात्र नहीं पाए गए ***	**कुल योग**
1	गुजरात	6,416	474	146	7,036
2	मध्य प्रदेश	6,275	336	150	6,761
3	असम	968	1,089	34	2,091
4	उत्तर प्रदेश	679	168	40	887
5	जम्मू और कश्मीर	680	57	12	749
6	आंध्र प्रदेश	391	244	42	677
7	छत्तीसगढ	371	257	16	644
8	हरियाणा	431	44	17	492
9	ओडिशा	380	58	32	470
10	हिमाचल प्रदेश	355	7	13	375
11	त्रिपुरा	267	77	31	375
12	पुदुचेरी	223	107	4	334
13	कर्नाटक	154	136	37	327
14	राजस्थान	211	91	9	311
15	महाराष्ट्र	49	197	54	300
16	तमिलनाडु	46	98	6	150
17	केरल	31	106	1	138
18	बिहार	84	5	9	98
19	मेघालय	76	19		95
20	पंजाब	5	21	1	27
21	चंडीगढ़	15	5		20
22	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		18		18
23	झारखंड	13	4		17
24	उत्तराखंड	7	9		16
25	दिल्ली		15		15

26	सिक्किम	11	4		15
27	लद्दाख	6	8		14
28	तेलंगाना	2	7	3	12
29	पश्चिम बंगाल	1	4	1	6
30	अरुणाचल प्रदेश		4		4
31	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		3		3
32	गोवा	1	1		2
33	मणिपुर	1			1
34	मिजोरम		1		1
	कुल	**18,149**	**3,674**	**658**	**22,481**

*नोट: अस्पताल प्रशासन द्वारा जीवन के लिए खतरा माने जाने वाले, इडीएआर पर पुलिस द्वारा मामले को खारिज किए जाने तक या 48 घंटे, जो भी पहले हो, योजना के तहत उपचार के पात्र हैं।

*****